ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

23/राज./2018/उ.अनु.1 दिनांक- 21 अगस्त, 2018

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,
जयपुर.

विषयः - राजस्थान राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2018 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय परआपके पत्र संख्या एफ. 3(3)(1)रोल्स/निर्वा/2018/4689 दिनांक 20.08.2018तथा आयोग केदिनांक 07.05.2018के पत्र संख्या 23/पत्र/प्रकार्या./ई आर डी-ई आर/2018 को संदर्भित करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2018 कार्यक्रम में इंगित, दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की तिथि, जोकि दिनांक 31.07.2018 (मंगलवार) से दिनांक 21.08.2018 (मंगलवार) तक है, को संशोधित करते हुए इसे दिनांक 31.07.2018 (मंगलवार) से दिनांक 31.08.2018 (शुक्रवार) तक कर दिया गया है।

2. इस संबंध में आयोग की दिनांक 21 अगस्त, 2018 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 23/राज./2018 (विशेष) की प्रति, इसके हिन्दी अनुवाद सहित, आपको भेजी जा रही है । आपसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशन की व्यवस्था करा दी जाए। साथ ही उस राजपत्र, जिसमें इस अधिसूचना का प्रकाशन किया गया हो, की तीन प्रतियां रिकार्ड हेतु आयोग को भी भेज दी जाए ।

3. आपसे यह भी अनुरोध है कि सभी राजनीतिक दलों को इस परिवर्तन की लिखित सूचना दे दी जाए और राज्य के सभी क्षेत्रों में इसका समुचित प्रचार किया जाए ।

www.rajteachers.com

भवदीय,

(कुमार राजीव)
अवर सचिव

TO BE REPUBLISHED IN AN EXTRAORDINARY ISSUE OF RAJASTHAN STATE GOVERNMENT GAZETTE IMMEDIATELY.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 21st August, 2018
30 Shravan, 1940 (Saka)

NOTIFICATION

No. 23/RJ/2018 (Special), Whereas, the Commission had announced the schedule of the Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 01.01.2018 as the qualifying date, of Rajasthan State, vide its letter no. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018, dated 07.05.2018; and

Whereas, the period for filling claims & objections in Rajasthan State was originally fixed from 31st July, 2018 (Tuesday) to 21st August, 2018 (Tuesday); and

Whereas, the draft rolls were published on 31st July, 2018 in the State; and

Whereas, the Commission, in view of the impending General Elections in the State and the facts &circumstances stated by the Chief Electoral Officer, Rajasthan,has decided that the period for filling claims & Objections should be extended up to 31st August, 2018;

Now, therefore, the Commission in exercise of the power conferred by the provisio to Rule 12 of the Registration of Electoral Rules, 1960, extends, for all Assembly Constituencies in the State of Rajasthan, the period of filing claims & Objections up to 31st August, 2018 (Friday) for the ongoing Second Special Summary revision of Electoral Rolls with reference to 01.01.2018 as the qualifying date.

By Order,

www.rajteachers.com

(PRAMOD KUMAR SHARMA)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

राजस्थान सरकार के राजपत्र के असाधारण अंक में तत्काल प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः- 21 अगस्त, 2018

30 श्रावन, 1940 (शक)

अधिसूचना

संख्या 23/राज0/2018 (विशेष), यतः, आयोग ने दिनांक 07.05.2018 के अपने पत्र संख्या 23/पत्र/प्रकार्या./ई आर डी-ई आर/2018 के द्वारा 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, राजस्थान राज्य की निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी; और

यतः, राजस्थान राज्य में दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि 31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) से 21 अगस्त, 2018 (मंगलवार) तक नियत की गई थी; और

यतः, राज्य में प्रारुप नामावलियां 31 जुलाई, 2018 को प्रकाशित कर दी गई थी; और

यतः, आयोग ने, राजस्थान राज्य में आसन्न सामान्य निर्वाचन के ध्यान में रखते हुए तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा व्यक्त किये गए तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया है कि दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि को 31 अगस्त, 2018 तक बढा दिया जाना चाहिए;

अतः, अब, आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, निर्वाचक नामावलियों के चल रहे द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए, राजस्थान राज्य में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख को 31 अगस्त, 2018 (शुक्रवार) तक विस्तारित करता है ।

www.rajteachers.com

आदेश से

(प्रमोद कुमार शर्मा)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग